न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 25/2017 (2017/00052)

तारीख दायरा—18.10.2017

तारीख निर्णय—14.01.2021

1. श्री युवनेश पिता अम्बालाल सोलंकी उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री दुर्गा शंकर पिता मांगीलाल मेघवाल उम्र वयस्क निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री खेमा पिता टीला गमती उम्र वयस्क निवासी मजावडी तहसील गोगुन्दा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री खुमाणसिंह राव

अप्रार्थी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा मजावडी पटवार सर्कल मजावडी तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 153 में आराजी संख्या 2202 रकबा 0.0150 एवं आराजी संख्या 2203 रकबा 0.6200 कुल किता 2 रकबा 0.6350 है0 भुमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06. 2016 को पुर्व खातेदार श्री भंवरलाल पित वाला मेघवाल से क्रय की गई है जिसका नामान्तकरण संख्या 844 से प्रार्थी के नाम दर्ज की गई है। वादग्रस्त भूमि के पास में विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 2204 से 2215 स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि पास—पास होने से सीमा बंदी के बारे में आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी के खातेदारी में अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचाते है, जिस बाबत् प्रार्थी ने कई बार सीमा जानकारी कराई गई लेकिन विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी को नहीं मानकर आये दिन सीमा क्षेत्र के पत्थरों को फेंक देते है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य सीमाओं पर पूर्ण नपती के पश्चात पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब गोगुन्दा के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सुचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन किये है जो कि प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:52 IST
Reason: SelfAttested

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है।

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला—उदयपुर (राज.)

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी नही किये जाने बाबत् तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जबकि बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा मजावडी पटवार सर्कल मजावडी तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 153 में आराजी संख्या 2202 रकबा 0.0150 एवं आराजी संख्या 2203 रकबा 0.6200 कुल किता 2 रकबा 0.6350 है0 भूमि का दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/– रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ~~16.12.2013~~ 15.1.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:52 IST
Reason: SelfAttested